सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-620 राँची, गुरूवार, 16 दिसम्बर, 2021 (ई०)

उद्योग विभाग

संकल्प

6 सितम्बर, 2021

विषयः असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को संगठित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "Scheme for Formalisation of Micro Food Enterprises" (FME) **के विभिन्न अवयवों एवं राज्यांश की स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या-06/उ०नि०/FPP-2015/06-2020-874--खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार के D.O.No.- AS(MA)/Misc/2020/79 दिनांक 03.07.2020 द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुल रू० 10,000.00 करोड़ (दस हजार करोड़ रूपये) की केन्द्र प्रायोजित योजना "Scheme for Formalisation of Micro Food Enterprises" (FME) का वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अवधि हेतु असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य के भागीदारी 60:40 अनुपात में संचालित करने का निर्णय लिया गया हैं ।

2. इस योजना का मूल उदेश्य असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो की सक्षमता वर्धन हैं। वर्तमान कार्यरत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो एवं FPO, SHG और Cooperatives के साख पहुँच का वर्धन करना। देश भर में असंगठित क्षेत्र के कुल 2,00,000 एवं राज्य में 5,465 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को संगठित करने हेतु सहयोग देना हैं ।

3. योजना One District One Product के आधार पर संचालित की जायेगी ।

4. योजना के मूलतः 4 घटक हैं-

(क) एकल और सामूहिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को सहयोग ।

(ख) Branding और Marketing सहयोग ।

(ग) संस्थानो के सुदृढ़ीकरण में सहयोग ।

(घ) सुदृढ़ Project Management Framework का गठन ।

5. (क) एकल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को सहयोग- एकल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को अनुमान्य परियोजना लागत का 35% साख सम्बद्ध अधिकतम 10 लाख की सीमा में अनुदान दिया जायेगा। परियोजना लागत का 10% लाभुक एवं षेष बैंक द्वारा वित्तियन किया जायेगा। एकल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का अर्हता निर्धारण एवं चयन इस योजना हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत किया जायेगा ।

(ख) सामूहिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को सहयोग(FPO, SHG, Cooperatives) FPO, SHG और Cooperatives को अनुमान्य परियोजना लागत का 35% साख सम्बद्व अनुदान और प्रशिक्षण सहयोग दिया जायेगा। सामूहिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को सहयोग का अर्हता निर्धारण एवं चयन इस योजना हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत किया जायेगा ।

(ग) SHG को निम्न प्रकार सहयोग दिया जायेगाः-

Seed Capital:- के प्रत्येक सदस्य को Working Capital और छोटे उपकरण हेतु रू० 40,000 का सहयोग दिया जायेगा ।

SHG के प्रत्येक इकाई को अनुमान्य परियोजना लागत का 35% साख सम्बद्ध अधिकतम 10 लाख की सीमा में अनुदान दिया जायेगा ।

SHG को सामूहिक रूप से अनुमान्य परियोजना लागत का 35% साख सम्बद्ध अनुदान और प्रशिक्षण सहयोग दिया जायेगा। SHG को सहयोग का अर्हता निर्धारण एवं चयन इस योजना हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत किया जायेगा ।

SHG को Training और Handholding Support:– SRLM के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विशेषज्ञो द्वारा SHG को Training और Handholding Support प्रदान किया जायेगा ।

सामान्य अवसंरचना निर्माण हेतु सहयोगः- FPO, SHG, Cooperatives, सरकारी संस्थाएँ एवं निजी उद्यमियों को सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, शीतगृह, पैकिंग हेतु परियोजना लागत का 35% साख सम्बद्ध अनुदान और सहयोग दिया जायेगा। उक्त हेतु चयन इस योजना हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत किया जायेगा ।

ग्रामीण विकास विभाग योजना हेतु सामूहिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों (FPO, SHG, Cooperatives) को आवश्यक सहयोग हेतु सम्नवयक के रूप में कार्य करेगा ।

6. **Branding और Marketing सहयोगः-**

सामूहिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को सहयोगः- **(**FPO, SHG, Cooperatives) को Branding और Marketing सहयोग प्रदान किया जायेगा। Branding और Marketing हेतु अधिकतम सहयोग कुल व्यय का 50% किया जायेगा। इस मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक व्यय 5.50 करोड़ अनुमानित है। (कुल बजट का 2%)

7. (क) **सक्षमता वर्धन एवं शोध:-**

राज्य स्तरीय संस्थानो को सहयोगः- Birsa Agriculture University, Ranchi को State Level Technical Institution के रूप में मनोनित किया जायेगा। राज्य स्तर पर सक्षमता वर्धन एवं शोध का कार्य BAU के द्वारा किया जायेगा ।

(ख) एकल सूक्ष्म/सामूहिक खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को Training सहयोगः- पूँजीगत निवेशों हेतु सहयोग प्राप्त एकल सूक्ष्म/सामूहिक खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो, ODOP को प्रसंस्करण करने वाले एकल/सामूहिक खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो एवं Branding और Marketing सहयोग प्राप्त इकाईयो को Ministry Of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) द्वारा निर्धारित दर के अनुसार Training सहयोग प्रदान किया जायेगा। Training हेतु क्षेत्र एवं माध्यम इस योजना हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत किया जायेगा ।

(ग) **Handholding Support**:- एकल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को Resource Person द्वारा जिला स्तर पर Hand holding Support यथा-DPR, Bank Loan स्वीकृति हेतु प्रदान किया जायेगा। Resources Person का भुगतान प्रति Loan स्वीकृत का रू० 20,000/- (बीस हजार रूपये) की दर से दो चरणों में किया जायेगा। 50% राशि का भुगतान Loan स्वीकृति के उपरांत तथा शेष राशि का भुगतान इकाई द्वारा GST उद्योग आधार एवं FSSAI Certificate दिलाने के बाद किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रति इकाई का रू० 20,000/-(बीस हजार रू०) की दर से लगभग 05 हजार इकाइयों का Hand holding Support हेतु व्यय रू० 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) अनुमानित है ।

8. योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढाँचाः-

राज्य स्तरीय ढाँचा- राज्य स्तर पर State Level Approval Committee योजना के क्रियान्वयन निरीक्षण हेतु गठित की जायेगी। State Nodal Agency (Directorate of Industries) State PMU के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन करेगी ।

State Level Approval Committee का संघटन:

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	सदस्य
5.	अभियान निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
6.	Birsa Agriculture University, Ranchi के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	BIT MESRA, Ranchi के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	NABARD के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	National Skill Development के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	State Lead Bankers Committee के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	National Co- operative Development Corporation के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	बैंकिंगक्षेत्र के विशेषज्ञ ब्रांडिंग/फाइनेंस और मार्केटिंग/ (सचिव, उद्योग विभाग द्वारा नामित)	सदस्य
13.	राज्य नोडल पदाधिकारी (निदेशक उद्योग)	सदस्य सचिव

समिति का मुख्य कार्य Survey/Studies, State Nodal Agency द्वारा प्रस्तुत Project Implementation Plan, Capacity Building Activities for State & District Officials, Subsidy Proposal of Groups for recommending to MOFPI, Strengthening of State Institutions, Proposal for common Facilities, Groups or Marketing & Branding, Seed capital to groups और PIP में शामिल विविध गतिविधियों हेतु परियोजना व्यय (अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए) की स्वीकृति ।

उक्त कार्यों के अतिरिक्त समिति योजना के कुल लक्ष्यों के अनुरुप मासिक लक्ष्यों का निर्धारण, पोर्टल के माध्यम से योजना की प्रगति का अनुश्रवण एवं योजना पोषित ईकाइयों CFC का निरीक्षण जैसे कार्यों का संपादन करेगी ।

इस केन्द्र प्रायोजित योजना में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को अंगीकार करने हेतु समिति को तत्संबंधी अधिकार प्राप्त होगे ।

राज्य नोडल विभाग- इस योजना हेतु उद्योग विभाग नोडल विभाग होगा साथ ही अन्य विभागों/एजेंसियों से सफल क्रियान्वयन हेतु समन्वयक के रुप में कार्य करेगा ।

राज्य नोडल एजेंसी- उद्योग निदेशालय इस योजना हेतु राज्य नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करेगी । निदेशक उद्योग राज्य नोडल पदाधिकारी होंगे ।

राज्य नोडल एजेंसी का कार्य निम्नवत् है:-

1. Conducting various studies
2. Getting PIP prepared
3. Monitoring the Training and Capacity building activities undertaken by SLTI and DRP carrying out strengthening of State level Institutions.
4. Ensuring timely submission of subsidy proposals by district committees.
5. Ensuring timely submission of Plans for provision of common facilities.
6. Ensuring timely submission of seed capital proposals of groups.
7. Developing branding and marketing proposals.
8. Monitoring the hand holding support being given by district resource persons to enterprises for DPR.
9. Setting of SPMU
10. Monitoring and approval of hiring of district resources persons.
11. Furnishing utilization certificate and regular progress report to MOFPI in prescribed format. IEC. Sharing of best practices.

9. State Project Management Unit:- राज्य नोडल एजेंसी SPMU की नियुक्ति करेगी। SPMU में कार्यबल हेतु व्यवसायिक एजेन्सी का चयन Competitive Bidding Process से किया जायेगा। SPMU में कुल 09 विशेषज्ञों (प्रति वर्ष वेतन व्यय रू0 96,60,000.00) को नियुक्त किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक SPMU हेतु व्यय रू० 05.00 करोड़ अनुमानित है ।

10. **District level Structure: -** District Level Committee की संरचना निम्नवत होगी-

1.	उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
3.	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
4.	जिला बागवानी पदाधिकारी	सदस्य
5.	किसी एक ग्राम पंचायत का मुखिया (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
6.	कोई एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
7.	District lead Bank Manager	सदस्य
8.	किसी एक SHG/FPO के सदस्य (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
9.	NABARD के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	SRLM के जिला प्रतिनिधि	सदस्य
11.	उपायुक्त द्वारा मनोनित एक अन्य व्यक्ति	सदस्य

District Level Committee का मुख्य कार्य:-

i. सूक्ष्म एकल ईकाइयों द्वारा ऋण एवं अनुदान प्रस्तावों का स्वीकृति ।

ii. Common Infrastructure और समूह के आवेदनों को SNA को अनुशंसा ।

iii. District Resource Person द्वारा सूक्ष्म ईकाइयों को Hand holding support का अनुश्रवण।

iv. Portal के माध्यम से योजना का अनुश्रवण ।

11. District Resource Person: लाभुको को Hand holding support हेतु SNA के द्वारा District Resource Person का चयन किया जाएगा ।

12. **समान कार्यक्षेत्र की संस्थाओं यथा-** TRIFED, SFAC, NCDC, NSCFDC एवं NRLM से सहभागिता किया जायेगा ।

13. Study और Project Implementation Plan तैयार किया जायेगा ।

14. **बजट अनुमान एवं योजना का वित्तयन**- इस योजना को केन्द्र एवं राज्य के भागीदारी 60:40 अनुपात में संचालित करने का निर्णय लिया गया हैं। प्रथम वर्ष में योजना की सम्पूर्ण व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा और अगले चार वर्षों में प्रथम वर्ष के राज्यांश का समायोजन किया जाएगा। पाँच वर्षों में कुल व्यय 275.00 करोड़ केन्द्र एवं राज्य व्यय का अनुमान क्रमशः रु० 165.00 करोड़ एवं रु0 110.00 करोड़ है ।

15. उक्त योजना निमित्त माँग संख्या-23 के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना तहत नया उपशीर्ष का गठन निम्नरूपेण किया गया हैः-

(i) State Scheme:- Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग/उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य/लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता/उप शीर्ष-89-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना/विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान/प्राथमिक इकाई-78-पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान ।

(ii) Centrally Sponsored Scheme- Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग/उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य/लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता/उप शीर्ष-89-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना/विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान/प्राथमिक इकाई-78-पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान ।

16. इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार के D.O.NO AS(MA)/Misc/2020/79 दिनांक 03.07.2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों के तहत किया जायेगा ।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति उद्योग विभाग के संलेख ज्ञापांक 775 दिनांक 24.08.2021 के क्रम में दिनांक 24.08.2021 की बैठक में मद संख्या 22 में दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 620 -- 50